| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 2.2025 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय-पक्ष उपस्थित। बहस अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र 2/2 रा.का.अ. पूर्व में सुनी जा चुकी है। हम प्रार्थना-पत्र को अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन आधारभूत बिन्दुओं के आधार पर निर्णीत करना उचित समझते है-<br>1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :-<br>पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना-पत्र, चक 2KNJ के खाता सं. 236, चक 2STG के खाता सं. 128 की जमाबंदी, पंजीकृत बैयनामें दिनांक 17.4.25 की चित्रप्रतियां आदि का अवलोकन किया गया।<br>जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 जो कि प्रार्थीगण का दादा है, अभिलिखित काश्तकार है व प्रार्थीगण के पिता के नाम कोई भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त दोनों खातों में अप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल के अलावा रामकुमार और हनुमानप्रसाद भी अभिलिखित सहकाश्तकार है जिनमें से तीनों अभि-लिखित काश्तकारों द्वारा चक 2STG की भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज विक्रय की जा चुकी है और दावा दायरी से | |

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

पूर्व विक्रय की गई है। क्रेतागण को मूल वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था एवं वर्तमान में जरिये प्रार्थना-पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी क्रेतागण को पक्षकार संयोजित किया गया है।

चक 2KMJ की भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है एवं चक 2STG की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज अन्य पक्षकारों को विक्रय कर चुके है और यह बैयान दावा दायरी से पूर्व किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 01 अभिलिखित काश्तकार है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से ही सिद्ध होता है।

2. सुविधा का संतुलन

चूंकि अभिलिखित काश्तकार होने के चलते चक 2STG की भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किया गया है व शेष चक 2KMJ की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम ही दर्ज है अतः

सहायक
एवं उपखण्ड

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील 3 में जारी हुए |
|---|---|---|

और वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 द. का. अ. न्यायालय हाजा में विचाराधीन है अतः सुविधा का सन्तुलन आंशिक रूप से ही प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। पंजीबद्ध विक्रयनामा के आधार पर यदि क्रेता -गण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण को असुविधा हो सकती है।

3) अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य ऐसी गात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती। चूंकि प्रथम दो बिन्दु आंशिक रूप से ही प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है अतः यह बिन्दु भी आंशिक रूप से ही प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

## आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर दिनांक 25.04.2025 के

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

आदेश को इस कदर संशोधित करते हुये कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 01 चक 2KNJ की भूमि को ताफैसला वाद रहन-बैय अंतरित नहीं करेंगें व चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा चक 2STG की भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज विक्रय की जा चुकी है अतः चक 2STG की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। चक 2STG की भूमि में क्रेतागण नामान्तरण आदि दर्ज करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल-दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.12.2025
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़